(135)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2018/1063 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.09.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 111/अपील/15-16.

---

1. शिवदीन पिता स्व. श्यामू जाति गोंड
2. सम्मल पिता स्व. दम्मू जाति गोंड
   निवासी मांगारोडी, तह. चिचोली,
   जिला बैतूल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. चैतराम पिता स्व. गम्मू जाति गोंड
2. नंदलाल पिता स्व. गम्मू जाति गोंड
   दोनों निवासी मांगारोडी, तह. चिचोली,
   जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री अखिलेश तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री जे.बी. दबे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/10/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 05.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, आमला के समक्ष मौजा ग्राम सिपलई स्थित पारिवारिक भूमि खसरा नंबर 272, 274 रकबा क्रमश: 2.055, 5.625 हैक्टेयर कुल रकबा 7.680 हैक्टेयर के बटवारा के संबंध में संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 18/अ-27/12-13 दर्ज कर आदेश दिनांक 19.07.2014 से संपूर्ण भूमि पर आवेदकगण एवं अनावेदकगण का 1/2, 1/2 हिस्सा मानते हुए प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के अपील प्रकरण क्रमांक 7अ/07 एवं 8अ/2007 आदेश दिनांक 28.09.2012 के पालन में हल्का पटवारी से प्रभाजन सूची प्राप्त की जाकर स्वत्व एवं कब्जे के आधार पर बंटवारा स्वीकृत किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20.11.2015 को आदेश पारित कर अपील समय बाह्य मानते हुए ग्राह्य योग्य न होने से अस्वीकार की गई तथा विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 19.07.2014 स्थिर रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 05.09.2017 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण का विवादित भूमि में किसी प्रकार का अधिकार निहित नहीं है। इस हेतु आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमो में वंशावली प्रस्तुत की गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.07.2014 के निर्णय में व्यवहार न्यायालय की प्रकरण 7-अ/07 एवं 8-अ/07 आदेश दिनांक 28.09.2012 का हवाला देते हुए यह कहते हुए आदेश पारित किया कि इस आदेश में अनावेदकगण के हक में 1/2 भाग के लिए आदेश दिया गया है, परंतु वास्तविकता में उक्त प्रकरण में अनावेदकगण ने अपने स्वत्व के लिए प्रकरण फाईल किया था, जिसे व्यवहार न्यायालय ने सम्पूर्ण कार्यवाही/जांच के पश्चात् अनावेदकगण का स्वत्व एवं अधिकार नहीं पाया तथा प्रकरण खारिज कर दिया था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार का बंटवारा आदेश दूषित एवं झूठे तथ्यों के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी 2 माह विलंब से प्रस्तुत की जा रही है, इसलिए प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाये। आवेदकगण द्वारा निगरानी विलंब से पेश करने का कोई पर्याप्त ठोस कारण नहीं बताया है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये तथा तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों ने उक्त भूमि का अधिकारी माना गया है व उक्त प्रकरण की अपील में भी जिला न्यायालय बैतूल द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि उक्त भूमि किसी एक व्यक्ति की नहीं है। दोनों पक्ष उक्त भूमि के स्वत्वधारी हैं।

(3) अनावेदकगण वर्तमान में उक्त भूमि पर लगभग 12 वर्ष से काबिज है तथा उक्त भूमि को न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की मानकर दोनों पक्षों के दावे एवं प्रतिदावे खारिज किए गये हैं।

(4) तहसीलदार द्वारा अपने बंटवारे आदेश में उक्त बात का उल्लेख किया गया है तथा विवादित भूमि मूल पुरूष अमरसिंग की होने तथा उसकी मृत्यु पश्चात् उसके पुत्र चिम्मन को और किसनू को मिलने तथा दोनों का आधी-आधी भूमि पर स्वत्व होने का उल्लेख किया है एवं उक्त भूमि का अंश निर्धारण भी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है।

(5) अनावेदक एवं आवेदक द्वारा न्यायालय में वंशावली प्रस्तुत की थी, जिसमें अमरसिंग के चार पुत्र चिम्मन, हिम्मत, विष्णु तथा किसनू थे, जिसमें से चिम्मन एवं विष्णु लाऔलाद फौत हो गये थे तथा उक्त भूमि चिम्मन एवं किसनू के मध्य बांटी गई तथा चिम्मन के वारसान आवेदकगण हैं तथा किसनू के वारसान अनावेदकगण हैं। इस तरह से दोनों के मध्य उक्त भूमि का बंटवारा किया गया, जो विधि अनुरूप है तथा उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई करने तथा वंशावली का निरीक्षण करने के बाद तथा व्यवहार न्यायालय के आदेश का परिपालन करते हुए उक्त भूमि का बंटवारा किया है।

(7) उक्त विवादित भूमि को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा विधि अनुसार बराबर भागों में बांटा गया है तथा उक्त आदेश को यथावत रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की अपील खारिज की है।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा संपूर्ण भूमि पर आवेदकगण एवं अनावेदकगण का 1/2, 1/2 हिस्सा मानते हुए प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के आदेश दिनांक 28.09.2012 के पालन में हल्का पटवारी से प्रभाजन सूची प्राप्त की जाकर स्वत्व एवं कब्जे के आधार पर बंटवारा स्वीकृत करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। तहसीलदार के उक्त आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर